उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-12/2016/सीपी 228/84-2-2016-सीपी 14/88 टीसी
लखनऊ : दिनांक : 05 मई, 2016

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10, सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या-68, सन् 1986) की धारा-16 की उपधारा-(1) के खण्ड-(क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-सीपी 340/84-2-2012-सीपी 14/88 टीसी, दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के क्रम में राज्यपाल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात् श्री अख्तर हुसैन खान, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को तात्कालिक प्रभाव से राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

संख्या-12/2016/सीपी 228(1)/84-2-2016-सीपी 14/88 टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि - अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को आज दिनांक 05 मई, 2016 के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-(ख) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

संख्या-12/2016/सीपी 228(2)/84-2-2016-सीपी 14/88 टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।

(3) निबन्धक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली।

(4) महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को मा0 मुख्य न्यायाधीश महोदय के अवलोकनार्थ ।

(5) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(6) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया मा0 न्यायमूर्ति से वांछित परिवचन भराकर शासन को उपलब्ध करायें।

(7) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(8) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उत्तर प्रदेश (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।

(9) कोषाधिकारी, लखनऊ।

(10) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।

(11) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, खाद्य एवं रसद/उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(12) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्रीगण, खाद्य एवं रसद/उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(13) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

(14) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Upbhokta Sanranchhan Evam Bant Maap Anubhag – 2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 12/2016/C.P. 228/84-2-2016-C.P. 14/88 TC dated 05 May, 2016

Notification

No. 12/2016/C.P. 228 /84-2-2016-C.P 14 /88 TC
Lucknow : Dated : 05 May , 2016

In exercise of the powers under clause (a) of the sub section (1) of section 16 of the Consumer Protection Act, 1986 (Act no. 68 of 1986) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in continuation of Government Notification no. C.P. 340/84-2-2012-C.P. 14/88 TC dated November 24, 2012, the Governor after consultation with the Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to appoint **Mr. Akhtar Husain Khan**, Retired Judge of the said High Court as the President of the State Consumer Disputes Redressal Commission, U.P. Lucknow with immediate effect.

By Order,

Sudhir Garg
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।